



// कार्यालय ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-21 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पुनः आरम्भ किये जाने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-5453/सत्तर-3-2020-80(20)/2020, दिनांक-17 नवम्बर, 2020 द्वारा सुरक्षा, सामाजिक दूरी के दृष्टिगत विभिन्न बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए पोस्ट लॉकडाउन अवधि में पठन-पाठन संचालित किये जाने की व्यवस्था दी गई है।

उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-21 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु दिनांक-30 दिसम्बर, 2020 से ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।

अतः विश्वविद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व सुरक्षा हेतु भारत/राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत सुरक्षा उपायों/दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए दिनांक-30 दिसम्बर, 2020 से ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में पठन-पाठन का कार्य संचालित किये जाने का निदेश हुआ है।

(अमित कुमार सिंह)  
कुलसचिव

पत्रांक- 1750 / पत्रा0सं0-179(III) / DSMNRU / 2020-21

दिनांक: 24 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ कि कृपया नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु संचालित पाठ्यक्रमों की समय-सारणी के अनुसार कक्षाओं का सुव्यवस्थित संचालन कराने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चरपा किये जाने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(बृजेन्द्र सिंह)  
24.12.20

(बृजेन्द्र सिंह)  
सहायक कुलसचिव